अध्याय III
सेनवेट क्रेडिट

सेवनेट क्रेडिट योजना के अन्तर्गत तैयार माल के विनिर्माण में प्रयुक्त "विशिष्ट प्रयोज्य/पूंजीगत माल" पर प्रदत्त शुल्क तथा "विशिष्ट प्रयोज्य सेवा" पर प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट अनुमत किया जाता है। कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन तैयार माल पर शुल्क भुगतान के प्रति क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। नमूना जांच के दौरान देखने में आए ₹ 91.45 करोड़ के शुल्क वाले सेनवेट क्रेडिट के गलत उपयोग के कुछ मामलों का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है। ये आपत्तियां 23 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित की गई थीं। विभाग ने ₹ 0.87 करोड़ के धन मूल्य वाले तीन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं (दिसम्बर 2010 तक)।

3.1 शुल्क योग्य/शुल्क मुक्त माल में प्रयुक्त सामूहिक प्रयोज्य सामग्री के लिए अलग लेखे न बनाया जाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2002/2004 का नियम 6 व्यक्त करता है कि विनिर्माता, जो सामूहिक प्रयोज्य सामग्री/सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लेता है और शुल्कयोग्य तथा शुल्क मुक्त माल का विनिर्माण करता है, को अन्तिम उत्पादों की दोनों श्रेणियों के लिए प्रयोज्य सामग्री/सेवाओं की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए अलग लेखे बनाने हैं। तथापि यदि वह ऐसे अलग लेखे न बनाने को अपनाता है तब वह शुल्क मुक्त अन्तिम उत्पाद के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

3.1.1 शुल्क योग्य माल यथा विकृत स्पिरिट, कार्बन डाई आक्साइड, फ्यूजल तेल आदि तथा शुल्क मुक्त माल यथा, देशी शराब, परिशोधित स्पिरिट आदि के विनिर्माण में लगे मेरठ II कमिश्नरी में मै. सिम्भोली सुगर लिमिटेड (डिस्टिलरी यूनिट) ने प्रयोज्य सेवाओं (यथा कोरियर सेवाएं, टेलीफोन तथा मोबाइल सेवा, मरम्मत तथा अनुरक्षण सेवा, कमीशन एजेंट, कारबार सहायक सेवा, जीटीए, वेबसाइट अनुरक्षण सेवा आदि) पर प्रदत्त सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट लिया, जिनका शुल्क योग्य तथा शुल्क मुक्त माल दोनों के विनिर्माण में उपयोग किया गया था और अलग लेखे नहीं बनाए गए थे। निर्धारिती ने 2007-08 में ₹ 226.05 करोड़ के शुल्क मुक्त माल की निकासी की परन्तु 10 प्रतिशत ₹ 22.60 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इसलिए वे ₹ 5.88 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 22.60 करोड़ तक शास्ति के साथ वसूली योग्य थे।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2008) तब विभाग ने बताया (जून 2009) कि फरवरी 2005 से मार्च 2009 तक की अवधि को कवर कर दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे (मई 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.1.2 कोलकाता III कमिश्नरी में शुल्क योग्य तथा शुल्क मुक्त रेलवे वैगन तथा प्रैसर वैसल के विनिर्माण में लगे मै. टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड तथा मै. टैक्समेको लिमिटेड ने शुल्क मुक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रयोज्य सेवाओं के सम्बन्ध में अलग लेखे बनाए बिना अन्तिम उत्पादों की दोनों श्रेणियों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त

प्रयोज्य सेवाओं यथा जनशक्ति आपूर्ति, एजेंसी की सेवाओं, बीमा सेवाओं,कोरियर सेवाओं, सनदी लेखाकार सेवाओं, कारबार प्रदर्शन सेवाओं, इश्यू रजिस्ट्री सेवाओं, सीमाशुल्क निकासी एजेंट की सेवाएं आदि पर प्रदत्त सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट लिया। निर्धारिती ने अप्रैल 2005 तथा मई 2008 के बीच निकासी किए गए शुल्क मुक्त माल की कुल कीमत के दस प्रतिशत के बराबर राशि होने पर ₹ 20.61 करोड़ का भुगतान नहीं किया जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मई 2007 तथा जुलाई 2008 के बीच) तब विभाग ने बताया (दिसम्बर 2008) कि मै0 वैगन्स लिमिटेड ने बीमा, कोरियर सेवा तथा सनदी लेखाकार सेवाओं, जो शुल्क मुक्त उत्पाद के विनिर्माण के लिए उपयोग नहीं की गई थीं, पर प्रयोज्य सेवा क्रेडिट लिया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बीमा, कोरियर, लेखापरीक्षण, इश्यू रजिस्ट्री सेवाओं जिनपर निर्धारिती ने पूर्ण क्रेडिट लिया था, जैसी सेवाओं का सम्पूर्ण कारबार के लिए उपयोग किया गया था और केवल शुल्क योग्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने के रूप में दावा नहीं की जा सकती थीं। निर्धारिती ने किसी भी मामले में प्रयोज्य सेवाओं के उपयोग के अलग लेखे नहीं बनाए थे।

मै. टैक्समेको लि. के मामले मे विभाग ने बताया (अगस्त 2008) कि यद्यपि ऐसा क्रेडिट सामूहिक प्रयोज्य सेवाओं पर लिया गया था परन्तु ऐसे क्रेडिट का निर्धारिती द्वारा दी गई प्रयोज्य सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नियम शुल्क मुक्त माल की कीमत के दस प्रतिशत के भुगतान की मांग करता है जब जब माल की दोनों श्रेणियों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रयोज्य सेवाओं पर क्रेडिट लिया जाता है। इस बात का ध्यान दिए बिना कि क्या क्रेडिट का बाद में सेवा कर या उत्पाद शुल्क की देयता का निर्वाह करने में उपयोग किया था, नियम कोई शिथिलता प्रदान नहीं करता है।

तथापि विभाग ने दोनों मामलों में कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किए थे।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.1.3 शुल्क योग्य माल (अर्थात लोहा तथा इस्पात उत्पाद) और शुल्क मुक्त माल (अर्थात कोलतार आदि) दोनों के विनिर्माण में लगे रायपुर कमिश्नरी में मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने उत्पाद शुल्क के भुगतान बिना अप्रैल 2007 से जनवरी 2009 तक की अवधि के दौरान ₹ 13.45 करोड़ मूल्य का 8,884 टन कोलतार बेचा। हमने देखा कि निर्धारिती ने खनन (कोयला) सेवा, आवक परिवहन सेवा (कोयला), जनशक्ति आवश्यकता सेवा, सुरक्षा सेवा, मरम्मत तथा अनुरक्षण सेवा, कार्गो प्रहस्तन सेवा आदि जैसी सामूहिक प्रयोज्य सेवाओं जिनका शुल्क योग्य तथा शुल्क मुक्त माल दोनों के विनिर्माण के लिए उपयोग किया गया था, पर सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट लिया परन्तु इस तरह लिए गए सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट अन्तिम उत्पादों पर शुल्क भुगतान के लिए उपयोग किया गया था। चूंकि कोलतार (शुल्क मुक्त) के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रयोज्य सेवाओं के लेखे अलग नहीं बनाए थे इसलिए बेचे गए कोलतार की कीमत के दस प्रतिशत के बराबर ₹ 1.35 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मार्च 2009) तब विभाग ने बताया (मार्च 2009) कि वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 51.60 लाख का कारण बताओ नोटिस 31 मार्च 2009 को जारी किया गया है। शेष अवधि के लिए की गई कार्रवाई की सूचना प्रतीक्षित थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

3.1.4 सेनवेट क्रेडिट नियमावली का नियम 6(6)(i) प्रावधान करता है। कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट को निकासी किए गए उत्पाद शुल्क योग्य माल के मामले में अलग लेखे रखने की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2008 ने सेज में डवलपर को निकासी के लिए इस लाभ का विस्तार किया।

टेलीकाम वाहिकाओं तथा कंकरीट पम्पों/पाइप लाइनों के विनिर्माण में लगे गोवा कमिश्नरी में मै. डयूरालाइन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. पुत्जमीस्टर (इण्डिया) लिमिटेड ने सामूहिक प्रयोज्य सामग्री तथा प्रयोज्य सेवाओं, जो शुल्क योग्य तथा शुल्क मुक्त माल में उपयोग की गई थीं, पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया और कोई अलग लेखे नहीं बनाए थे। निर्धारितियों ने 31 दिसम्बर 2008 से पूर्व शुल्क के भुगतान बिना सेज के डवलपरों को ₹ 2.99 करोड़ मूल्य के माल की निकासी की। निर्धारितियों ने डवलपरों के लिए निकाले गए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रयोज्यों के अलग लेखे नहीं रखे। चूंकि अलग लेखे रखने से छूट 31 दिसम्बर 2008 तक उपलब्ध नहीं थी इसलिए वे लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ निकाले गए माल के मूल्य के दस प्रतिशत होने पर ₹ 29.94 लाख की राशि का भुगतान करने को दायी थे।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी तथा मार्च 2010) तब विभाग ने बताया (जून 2010) कि बंधपत्र के अन्तर्गत सेज डवलपरों को निकाले गए माल शुल्क मुक्त माल के रूप में माने जाने थे ओर निकासी पर सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 का प्रावधान लागू नहीं होता है। इसके अलावा अधिसूचना सं. 50/2008 के.उ.शू. (एनटी) दिनांक 31 दिसम्बर 2008 द्वारा "डवलपर" का समावेश ऐसा मामला नहीं था जहॉ एक नया उपनियम समाविष्ट किया गया था परन्तु यह प्रकृति में मात्र स्पष्टकारी था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। ऐज के डवलपर को निकासी अधिसूचना में सम्मिलित विशेष खण्ड के माध्यम से नियम 6(3) से छूट के रूप में शामिल की गई थी और 31 दिसम्बर 2008 से लागू बनाई गई थी। अधिसूचना से पूर्व लाभ स्वीकार्य नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.2 अपात्र पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया जाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2002/2004 के नियम 2(ख)/2(क) के अन्तर्गत शुल्क का क्रेडिट अनुमत करने के प्रयोजन हेतु शब्द "पूंजीगत माल" का अर्थ (i) केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 82, 84, 85, 90, शीर्ष 68.02 तथा उपशीर्ष 6801.10 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल, (ii) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, (iii) उपर्युक्त (i) तथा (ii) पर निदिष्ट माल के संघटक, फालतू पुर्जे तथा उपसाधन (iv) सांचे तथा डाइयां, (v) ऊष्मसह तथा ऊष्मसह सामग्री, (vi) टयूबें, पाइपें तथा उनके जुड़नार और (vii) भण्डारण टेंक से है। मै. नवभारत फैरो अलाय लिमिटेड के मामले में न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया {2004 (174) ईएलटी

375} कि (i) एचआर कायल्स, चैनल्स, प्लेटस तथा हार्ड प्लेटस विविध उपयोग वाली सामान्य प्रयोजन मदें हैं और पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती हैं और (ii) बायलर आदि को बल देने वाले कालमों के रूप में प्रयुक्त हैवी फेब्रीकेटेड स्ट्रक्चर तथा ब्रासिंग के कालम निर्माण सामग्री की प्रकृति के हैं और पूंजीगत माल के रूप में क्रेडिट के पात्र नहीं हैं।.

3.2.1 सीमेंट, क्लिकंर, लोहा तथा इस्पात उत्पादों आदि के विनिर्माण में लगे तिरूपति कमिश्नरी में मै. अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड (एपी सीमेंट वर्क्स) तडीपत्री तथा हैदराबाद III कमिश्नरी में मै. शालीमार अलाय (प्रा.) लिमिटेड, कोतूर ने 2006-07 से 208-09 तक के दौरान एमएस एंगल, चेनल्स, बीमस, जाइंटस आदि जैसी मदों पर ₹ 4.71 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। हमने पाया कि ये मदें संयन्त्र शेड के निर्माण के लिए तथा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में उपयोग की गई थीं। इसलिए ₹ 4.71 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था और ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

हमारे उल्लेख किए जाने पर (अगस्त/अक्तूबर 2009) विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2010) कि पहले मामले में सितम्बर 2005 तथा अगस्त 2010 के बीच की अवधि को शामिल कर ₹ 23.36 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। दूसरे मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (जून 2010) कि एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.2.2 रायपुर कमिश्नरी में पिग आयरन, स्पंज आयरन बिलेटस रौल्ड प्रोडक्टस आदि के विनार्माण में लगे मै. जायसवाल नीको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने मई 2004 से मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान एंगल, चेनल, बीम, प्लेट, जाइंट आदि पर प्रदत्त ₹ 3.84 करोड़ के शुल्क का सेनवेट क्रेडिट लिया। ये वस्तुएं अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए उपयोग नहीं की गई थीं परन्तु संयन्त्र तथा मशीनरी को बल देने के लिए हैवी फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर के निर्माण में उपयोग की गई थीं। संरचनात्मक मदों पर लिया गया शुल्क का क्रेडिट गलत था और ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अक्तूबर 2004 तथा मार्च 2010 के बीच) तब विभाग ने बताया (जुलाई 2008 तथा मार्च 2010 के बीच) कि फरवरी 2004 से फरवरी 2005 तक की अवधि को शामिल कर ₹ 1.76 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट अस्वीकृत करते हुए एक कारण बताओ जारी किया गया था और एक अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। हमने यह भी देखा कि ₹ 1.76 करोड़ की मांग की 29 अक्तुबर 2008 को पुष्टि हो गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.2.3 पटना कमिश्नरी में चीनी के विनिर्माण में लगे मै. हरीनगर सुगर मिल्स लिमिटेड ने अगस्त 2008 तथा अप्रैल 2009 में एमएस बार, चैनल, एंगल, एचआर प्लेट, बीम, टीएमटी बार आदि जैसी मदों पर ₹ 52.16 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया और सुगर मिल के शराब कारखाना प्रभाग के निर्माण में प्रयोग किया। चूंकि निर्माण के लिए प्रयुक्त माल पर सेनवेट क्रेडिट उपयुक्त नहीं था इसलिए ₹ 52.16 लाख का सेनवेट क्रेडिट ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

हमने दिसम्बर 2009/अक्तूबर 2010 में इसे विभाग/मंत्रालय को बताया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.2.4 बेलापुर कमिश्नरी में सीमेंट के विनिर्माण में लगे मै. बल्क सीमेंट कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड ने अप्रैल 2009 में अध्याय 86 के अन्तर्गत आने वाले रेलवे वैगनों की खरीद की और ₹ 54.68 लाख (अर्थात रेलवे वैगनों पर प्रदत्त शुल्क का 50 प्रतिशत) का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया (जून 2009)। चूंकि रेलवे वैगन पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत निर्दिष्ट नहीं थे इसलिए निर्धारिती द्वारा लिया गया सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था और ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2010) तब विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2010) कि ₹ 1.09 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.3 अस्वीकार्य प्रयोज्य सेवाओं पर लिया सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3 प्रावधान करता है कि अन्तिम उत्पादों का विनिर्माता प्राप्त किसी प्रयोज्य सेवा पर प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट ले सकता है यदि ऐसी सेवा का अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किया गया है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 2(1) प्रयोज्य सेवाओं की सीमा निर्धारित करता है।

3.3.1 लखनऊ कमिश्नरी में विनिर्माण कार्यकलापों में लगे मै. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटड ने वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के दौरान कर्मचारी मेडीक्लेम बीमा सेवाओं, निजी कार बीमा सेवाओं, दैनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए कैब सेवाएं किराए पर लेने जैसी सेवाओं पर ₹ 8.16 लाख के प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त किया। उपर्युक्त प्रयोज्य सेवाओं पर सेनवेट का लिया जाना अनियमित था क्योंकि ये प्रयोज्य सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण से सम्बन्धित नहीं थीं। इसलिए निर्धारिती ब्याज तथा शास्ति के अलावा ₹ 8.16 लाख का भुगतान करने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2010) तब विभाग ने बताया (अप्रैल 2010) कि 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के लिए ₹ 10.72 लाख की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.3.2 मेरठ I कमिश्नरी में सुवाह्य तथा स्थिर डीजी सैटों के विनिर्माण में लगे मै. बिरला पावर साल्यूसन लिमिटेड ने प्रयोज्य सेवाओं यथा वित्तीय सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं, कामगार क्षतिपूर्ति नीति, कोरियर सेवा आदि पर प्रदत्त सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि ये सेवाएं प्रयोज्य सेवाओं के अन्तर्गत नहीं आती थीं इसलिए निर्धारिती मार्च 2010 तक ₹ 0.83 लाख के ब्याज के अलावा ₹ 5.07 लाख के क्रेडिट को वापस करने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2009) तब विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2010) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.3.3 एक्सेल कार्प केयर लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में सेस्टाट ने माना कि निर्यात के लिए कार्गो प्रहस्तन एजेंसी सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर का लिया गया सेनवेट क्रेडिट विनिर्माण तथा फैक्टरी से उत्पाद की निकासी से कोई सम्बन्ध नहीं रखता था और इसलिए ऐसी सेवाओं पर प्रदत्त कर का कोई क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाना था।

हैदराबाद IV कमिश्नरी में दुग्ध खाद्य उत्पादों की पैकिंग में लगे मै. ग्लेक्सो स्मिथक्लिन कन्जूमर हैल्प केयर लिमिटेड ने उसी कम्पनी की अन्य यूनिट में निर्यातित माल का विनिर्माण किया और 2006-07 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान निर्यातित माल के संबंध में निर्यात लाइनर प्रभारों के प्रति विभिन्न जहाज रानी एजेंसियों को ₹ 10.48 लाख के सेवा कर का भुगतान किया। निर्धारिती ने ऐसे प्रदत्त सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। सेनवेट क्रेडिट का लिया जाना गलत था क्योंकि ऐसी सेवाएं निर्धारिती द्वारा विनिर्मित तथा निकासी किए गए माल के संबंध में प्रयोज्य सेवाएं नहीं थीं। क्रेडिट ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जुलाई 2009) तब विभाग ने बताया (जनवरी 2010) कि ब्याज तथा शास्ति के अलावा जनवरी 2005 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए ₹ 12.15 लाख की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (अक्तूबर 2009)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)

3.4 कर मुक्त सेवा पर प्रदत्त सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना

अन्तिम उत्पादों का विनिर्माता या उत्पादक अथवा कर योग्य सेवा का प्रदाता सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(1) (ix) के अनुसार अन्तिम उत्पाद के विनिर्माता द्वारा या आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किसी प्रयोज्य सेवा पर प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट ले सकता है।

1 जून 2007 से खनिज, तेल या गैस के खनन की सेवा टैक्स नेट में आ गई।

रायपुर कमिश्नरी में देशज कोयला खानों से कोयले के उत्खनन से सेवाएं लेने के लिए लोहा और स्टील उत्पादों के विनिर्माण में लगे मैं. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने विभिन्न रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट सेवा प्रदायकों को ₹ 23.16 करोड़ का भुगतान किया। जुलाई 2005 से मई 2007 की अवधि के दौरान निर्धारती ने ₹ 2.60 करोड़ की राशि के सेवा -कर के क्रेडिट का लाभ उठाया। इस प्रकार एक ऐसी अवधि के दौरान प्रदत्त सेवा -कर के लिए गलती से क्रेडिट का लाभ उठाया गया, जब सेवाकर भुगतान -योग्य नहीं था। ₹ 2.60 करोड़ का सैनवेट क्रेडिट ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (फरवरी 2008) विभाग ने बताया (अप्रैल 2010) कि कारण बताओं ज्ञापन जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.5 अवैध दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट का लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 9 में निर्दिट दस्तावेज़ों के आधार पर परिणाम सेवा या प्रयोज्य सेवा के विनिर्माता या प्रदाता द्वारा या प्रयोज्य सेवा वितरण द्वारा सेनवेट

क्रेडिट लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियम 14 में निर्दिट है कि जहां क्रेडिट लिया गया है और गलत ढंग से उपयोग किया गया है उस क्रेडिट को ब्याज सहित विनिर्माता से वसूल किया जाना चाहिए।

3.5.1 जम्मू व कश्मीर कमिश्नरी में पेन्ट के विनिर्माण मै. बर्जर पेन्टस इण्डिया लिमिटेड ने सितम्बर 2004 और जुलाई 2006 के बीच की अवधि के दौरान ₹1.91 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। हमने यह देखा कि निर्धारिती द्वारा इनपुटों /पूंजीगत माल पर शुल्क के भुगतान को सिद्ध करने वाले बीजक अपने पास न होने पर क्रेडिट का लाभ उठाया। अतः सेनवेट क्रेडिट का लाभ गलत ढंग से उठाया गया था और ब्याज एवं शास्ति समेत वसूली-योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2009), विभाग ने बताया (दिसम्बर 2009) कि निर्धारती को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.5.2 भोपाल कमिश्नरी में सीमेन्ट के विनिर्माण में कार्यरत मैं. डायमण्ड सीमेंट यूनिट I और II ने मार्च 2006 और सितम्बर 2008 के बीच विभिन्न आउटपुट सेवा प्रदायको द्वारा जारी डेविट सूचनाओं के आधार पर ₹ 59.79 लाख के सेवा-कर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। चूँकि डेबिट सूचनाएं सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए निर्दिट दस्तावेज नहीं थे, अतः ₹ 59.79 लाख की राशि ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने अगस्त 2009 और जनवरी 2010 के बीच इंगित किया, तो विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और बताया कि मांग जारी की जा रही है (दिसम्बर 2009)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.5.3 इन्दौर कमिश्नरी में, एस एस कॉयल/टयूब के विनिर्माण में लगे मैं. भण्डारी फॉयलस एण्ड टयूबस लिमिटेड (यूनिट III) ने बीजक, जो निर्धारती के नाम में नहीं थे, डेबिट सूचनाओं, प्रविष्टि बिलों की फोटोकापी और टीआर-6 चालानों के आधार पर ₹ 27.74 लाख के सेवा-कर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। चूंकि इन दस्तावेजों से सेनवेट क्रेडिट का लाभ नही उठाया जा सकता था, अतः सेनवेट क्रेउट का लाभ उठाना सही नहीं था और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

हमने विभाग /मंत्रालय को अक्तूबर 2009/सितम्बर 2010 में इंगित किया और उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.5.4 चेन्नई-I कमिश्नरी में ड्रम, बैरल आदि के विनिर्माण में कार्यरत मै. इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (ड्रम प्लॉन्ट) ने निर्धारती के दावे बिलों में प्रविष्टि के आधार पर दो सेवा प्रदायको से सम्बन्धित मई 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान इनपुट

सेवाओं पर ₹ 10.26 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। चूंकि दावा बिल सही दस्तावेज नहीं हैं, लिया गया क्रेडिट अननुज्ञेय था, अतः ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (फरवरी और मई 2009), तो विभाग ने अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि को कवर करते हुए 19.19 लाख को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बारे में सूचित किया (जुलाई 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.6 जॉब वकर्रों से माल वापस प्राप्त न होना

3.6.1 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2002 (दिनांक 10 सितम्बर 2004 की अधिसूचना के द्वारा यथासंशोधित) के नियम 4(5) (क) के अधीन इनपुट या पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया हो, को जॉब वर्कर को आगे संसाधित करने के लिए वापस भेजा जा सकता है बशर्ते माल 180 दिनों के भीतर वापस आ जाये और यदि इनपुट या पूंजीगत माल इस अवधि के भीतर वापस नहीं आता है तो विनिर्माता को सेनवेट क्रेडिट के बराबर की राशि , जो इनपुट या पूंजीगत माल की गैर वापसी को आरोपित होगी, अदा करनी होगी।

हलदिया कमिश्नरी में, पैट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माणमें कार्यरत मै. हलदिया पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने क्रमशःपीपी और एलएलडीपीई का 7259.100टन और 1464.250 टन की विभिन्न जॉब वर्करों को वर्ा 2003-04 और 2004-05 के दौरान फैबरिक/बैगों में परिवर्तित करने के लिए निकासी की। अमने देखा कि उक्त मात्राओं में से ₹ 6.10 करोड़ का 1206.100 टन का पीपीऔर 108.078 टन का एलएलडीपीई 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी फैक्टरी में वापस नही आया था। इस प्रकार विनिर्माता से अपेक्षित था कि वापस प्राप्त न हुए ₹ 97.56 लाख के इनपुटों के सेनवेट क्रेडिट के बराबर शुल्क को अदा करे ।

जब हमने यह इंगित किया (मार्च 2007) तो विभाग ने बताया (दिसम्बर 2009) कि एक कारण बताओ एवं मांग ज्ञापन मई 2008 में जारी किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

3.7 स्वप्रेरणा से सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना

केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 11बी में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, जो उत्पाद -शुल्क की वापसी का दावा करता है, को इस प्रकार के शुल्क की वापसी के लिए शुल्क के भुगतान की तारीख के एक वर्ष समाप्त होने से पहले निर्धारित फार्म और ढंग से उत्पाद शुल्क विभाग के सामने आवेदन देना चाहिए। आवेदनकर्ता को उस राशि, जिसकी वापसी का वह दावा करता है, के सम्बन्ध में आवेदन के साथ ऐसा दस्तावेज़ी या अन्य साक्ष्य संलग्न करना चाहिए, ताकि यह सिद्ध हो जाये कि उसने

उत्पाद शुल्क की वह राशि अदा की है। अधिनियम की धारा 11 बी के नीचे धारा के प्रयोजन के लिए व्याख्या के अनुसार, भारत से बाहर निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्क योग्य माल और ऐसी उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री , जो माल के विनिर्माण में प्रयोग होती है और जिसका भारत से बाहर निर्यात किया जाता है, पर उत्पाद-शुल्क की कटौती प्रतिदाय में शामिल है।

3.7.1 औरंगाबाद कमिश्नरी में, लौह और इस्पात के वस्तुओं के विनिर्माण में कार्यरत मै.इण्डियन सीमलैस मैटल टयूबस लिमिटेड बॉन्ड के अधीन शुल्क भुगतान के बिना निर्यात के लिए माल की निकासी की। सांविधिक समयावधियों के भीतर निर्यात के साक्ष्य के गैर प्रस्तुतीकरण पर, अक्तूबर 2006 से दिसम्बर 2007 के दौरान 24 बीजकों पर निर्यात के लिए सेनवेट के माध्यम से ₹ 49.82 लाख का कुल शुल्क निर्धारती ने अदा किया। तथापि, निर्यात का साक्ष्य प्राप्त होने पर, निर्धारती ने जुलाई 2007 से मार्च 2009 के दौरान अधिनियम की धारा 11 बी के अधीन पहले अदा किये गये शुल्क के प्रतिदाय (छूट) के लिए आवेदन दिये बिना, जुलाई 2007 से मार्च 2009 के दौरान अपने आप क्रेडिट ले लिया।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2009) विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2010) कि यह निर्धारती द्वारा केवल एक कार्यविधिक चूक थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारती ने निर्यात किये गये माल पर शुल्क अदा किया गया था और ऐसे शुल्क का प्रतिदाय (कटौती) लेने के लिए उसे धारा 11बी के अन्तर्गत आवेदन देना चाहिए था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 या उसके अधीन किसी नियम में प्रावधान नहीं है कि निर्धारती द्वारा पहले अदा किए गये शुल्क का अपने आप क्रेडिट ले ले।
मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(दिसम्बर 2010)1

3.7.2 इन्दौर कमिश्नरी में 52.09 शीर्ष के अन्तर्गत डेनिम कपडे के विनिर्माण में कार्यरत मै सेनचुरी डेनिम लिमिटेड ने 30 सितम्बर 2005 से 5 मई 2009 के दौरान विदेशियों से प्राप्त इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करते हुए ₹ 22 लाख का सेवा कर अदा किया जो कि गलत था। जब हमने मई 2007 और अगस्त 2008 के बीच यह इंगित किया तो विभाग ने तीन कारण बताओं ज्ञापन जारी किये। मई 2009 में आयुक्त (अपील) के निर्णय के अनुसरण में निर्धारती ने 10 अगस्त 2009 को ₹ 22 लाख का सेवा -कर नकद जमा किया। हमने देखा कि निर्धारती ने बाद में 30 सितम्बर 2009 को गलत ढंग से सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करते हुए पहले अदा किये गये सेवा-कर को समायोजित करने के लिए ₹ 22 लाख सेनवेट खाते में क्रेडिट किया। यह गलत था क्योंकि निर्धारती को प्रतिदाय का दावा करना चाहिए था।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2009), विभाग ने बताया मामले की जांच की जा रही थी (दिसम्बर 2009)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.8 मूल रूप में निकासित इनपुटो पर शुल्क के भुगतान का गैर -कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) में 'इनपुट सेवा' का अर्थ परिभाषित है। अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में या उसके सम्बन्ध में विनिर्माता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त की गई कोई सेवा तथा निकासी के स्थान तक अन्तिम उत्पाद की निकासी और अन्य विशिष्ट सेवाएं इसमें आती है। उक्त नियम 3(1) में निरूपित है कि अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में या उसके सम्बन्ध में विनिर्माता द्वारा प्राप्त किसी इनपुट/ आउटपुट सेवा का क्रेडिट लेना अनुज्ञेय होगा।

भुवनेश्वर-II कमिश्नरी में स्पॉन्ज आयरन के विनिर्माण में कार्यरत मै. टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड ने कोयला खान से कोयले की अधिप्राप्ति के लिए माल के परिवहन सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। हमने यह पाया कि निर्धारितियों ने 2008-09 के दौरान 50,928 टन उत्कृष्ट कोयला बेचा और अनुपयोज्य कोयले का गिराव और 6441.82 टन के भौतिक स्टॉक की कमी थी। चूंकि बेचे गये और कम पाये गये कोयले की मात्रा को अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग नही किया गया था, अतः इस बिक्री और कमी को आरोपित ₹ 59.56 लाख का सेनवेट क्रेडिट ब्याज एवं शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2009), तो विभाग ने बताया (सितम्बर 2010) कि 2008-09 से 2009-10 की अवधि के लिए ₹ 71.85 लाख की कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.9 आयातित सामग्री पर अधिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(7)(क) के प्रावधान के साथ पठित नियम 3(1) में दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना के अन्तर्गत 1 मार्च 2006 या उसके बाद उत्पाद शुल्क अदा करने वाले किसी 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरियन्टेड युनिट (ईयूओ) को इनपुट या पूंजीगत माल की निकासी के सम्बन्ध में सेनवेट क्रेडिट अनुज्ञेय होना चाहिए। अनुज्ञेय राशि की गणना क्रमशः इनपुट या पूंजीगत माल पर यथामूल्य मूल सीमाशुल्क की दर और उदग्राह्य अतिरिक्त सीमाशुल्क पर आधारित था।

लुधियाना कमिश्नरी में पेपर और पेपर बोर्ड के विनिर्माण में कार्यरत मै. खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड ने उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत इनपुट नामतः पैट्रोलियम कोक 100 प्रतिशत ईओयू से खरीद लिया। हमने पाया कि 2007-08 के दौरान निर्धारती ने ₹ 593.83 करोड़ के अनुज्ञेय क्रेडिट के प्रति ₹ 619.96 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। ₹ 26.13 लाख का अधिक लिया गया क्रेडिट ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2008), तो विभाग ने बताया (फरवरी 2009) कि निर्धारती को ब्याज सहित राशि जमा करने के लिए कहा गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.10 पूंजीगत माल पर अनुमत सीमा से अधिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया

सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 4 (2) (क) और (ख) में निरूपित है कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी एक समय पर फैक्टरी में या आउटपुट सेवाओं के प्रदाता के परिसर में प्राप्त पूंजीगत माल के सम्बन्ध में उस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत माल पर अदा किये गये शुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक की राशि सेनवेट क्रेडिट के लिए नही लेनी चाहिए और शेष क्रेडिट किसी भी वित्तीय वर्ष जो उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूंजीगत माल प्राप्त हुआ हो, के बाद आये, में लिया जा सकता है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 14 में व्यवस्था है कि जहां सेनवेट क्रेडिट गलत ढंग से लिया गया हो, वहां ब्याज सहित वह वसूल किया जाना चाहिए। उक्त नियम 15 के अन्तर्गत शास्ति का आश्रय भी लेना चाहिए।

भुवनेश्वर-II कमिश्नरी में स्पॉन्ज आयरन, बिलैट और टीएमटी बार के विनिर्माण में कार्यरत मै. एसएमसी पॉवर जनरेशन लिमिटेड ने पाइप, टयूब और वाटर ट्रीटमैनट प्लॉट/ इन्सटूमैन्ट जैसा पूंजीगत माल अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान अधिप्राप्त किया और 2007-08 के दौरान ऐसे पूंजीगत माल पर ₹ 30 लाख का पूरा सेनवेट क्रेडिट (100 प्रतिशत) लिया बजाय इसके कि ₹ 15 लाख, जो अदा किये गये शुल्क का 50 प्रतिशत था, का क्रेडिट लेता। निर्धारती द्वारा लिया गया ₹ 15 लाख का अधिक क्रेडिट ब्याज और शास्ति समेत वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2008),तो विभाग ने बताया (जून 2010) कि सितम्बर 2006 से मार्च 2008 तक की अवधि के लिए ₹ 5.28 करोड़ का कारण बताओ और मांग ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अन्य सभी ऐसे पूंजीगत माल को कवर किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2010)।